बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
बिहार महादलित विकास मिशन
द्वितीय तल, सचिवालय विस्तारीकरण भवन ब्लॉक – 3, पटना
इमेल – md-bmvm-bih@gov.in, वेबसाइट – www.bmvm.bihar.gov.in

पत्रांक – बि॰एम॰वि॰एम॰ 690-01/16/24-1225

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
बिहार महादलित विकास मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परियोजना पदाधिकारी
–सह–
जिला अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :04/06/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड निर्माण योजना हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में लक्ष्य के अनुरूप स्थल चयन कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में **वित्तीय वर्ष 2026–27** अंतर्गत सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड निर्माण योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों से वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु **कुल 302 लक्ष्य** (जिलावार लक्ष्य सूची संलग्न) पूर्व से निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के अनुरूप सभी जिलों से योजना हेतु स्थल प्रस्ताव राज्य मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। स्थल चयन में निम्नांकित बातों का ध्यान दिया जाना आवश्यक है–

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोले जहाँ अबतक सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड निर्माण न हुआ हो।
- वैसे पंचायत जिसके किसी भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोले में अबतक सामुदायिक भवन –सह– वर्कशेड का निर्माण न हुआ हो, वहाँ स्थल प्रस्ताव हेतु विशेष प्रयास किया जाए।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बहुलता (कम से कम 500 व्यक्ति/100 परिवार से अधिक) वाले टोले हो।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य टोला जहाँ सरकारी भूमि न्यूनतम 3000 वर्गफीट (60 फीट X 50 फीट) या अधिक उपलब्ध हो।
- प्रस्तावित स्थल समतल, सभी लोगों का पहुँच एवं नजदीक सड़क के लेवल में हो।

अतः अनुरोध है कि विषयवस्तु की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार स्थलों का चयन करें एवं चयनित स्थलों की भूमि उपयुक्तता संबंधी साझा जांच कार्यपालक अभियंता (LAEO) एवं जिला अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी द्वारा कर ली जाए। तत्पश्चात स्थल प्रस्ताव प्रतिवेदन की सूची **(Longitude, Latitude तथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन का कार्य प्रमण्डल का नाम सहित)** जिला पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत विहित प्रपत्र (संलग्न) में यथाशीघ्र अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

4-6-26

मिशन निदेशक

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड

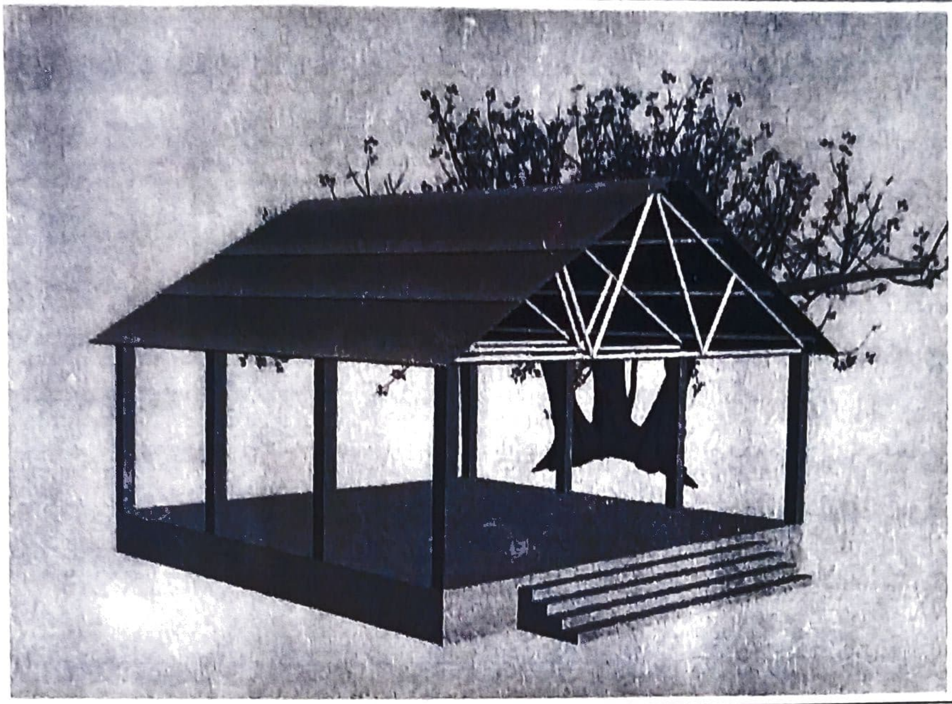

मार्गदर्शिका

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

बिहार महादलित विकास मिशन

मुख्यमंत्री सचिवालय, 4 देशरत्न मार्ग(4 के0 जी0),बिहार,पटना

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड

1.0 योजना एवं प्रस्ताव

'सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड' मिशन की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य महादलित टोला में एक ऐसे भवन का निर्माण करना जहाँ महादलितों के सामाजिक कार्यों के निर्वहन के साथ-साथ बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद की गतिविधियों का विकास हो सके। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप महादलित समुदाय का सर्वांगीन सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सकता है। सामुदायिक भवन को एक ऐसे केन्द्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है; जहाँ कोई भी सामाजिक कार्य यथा विवाह, छट्ठी, मुंडन संस्कार आदि सम्पन्न किया जा सके। जिला प्रशासन एवं **कार्यान्वयन, स्थल चयन एवं अनुश्रवण समिति** द्वारा चयनित एवं अनुशंसित पंचायत जहाँ महादलितों की अधिक आबादी है में कम से कम एक सामुदायिक भवन निर्माण करने का लक्ष्य है।

2.0 उद्देश्य

- सभी महादलित टोलों/गाँवों के निकट एक सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड की व्यवस्था हो जाने पर महादलितों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होगा।
- सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड को महादलित टोलों/गाँवों में खेल-कूद, कला एवं संस्कृति के विकास के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

3.0 सामुदायिक भवन में अन्य गतिविधियाँ एवं उपलब्ध सामग्री

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड एक **RCC-cum-Steel Structure** होगा। इस भवन में एक वृहत चबुतरा का प्रावधान है। इस भवन का छत **Steel Structure (Roof Truss)** होगा। इसके अलावा इसे सांस्कृतिक चेतना एवं खेल-कुद के विकास के केन्द्र के रूप में भी विकसित करने का प्रावधान है।

4.0 कार्यान्वयन की प्रक्रिया

a) योजना का क्षेत्र में कार्यान्वयन राज्य मिशन कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराये गये सामुदायिक भवन के मॉडल नक्शे (संलग्न) एवं माप-दंड जो भवन निर्माण विभाग,बिहार के द्वारा विधिवत तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है एवं जिसकी प्राक्कलित राशि रु० 4,25,700/- (चार लाख पचीस हजार सात सौ रु०) मात्र है के आधार पर किया जायेगा।

b) योजना की राशि 'बिहार महादलित विकास मिशन' अपने बजट प्रावधान के अंतर्गत जिला के जिला परियोजना पदाधिकारी के माँग के आलोक में राज्य मिशन कार्यालय द्वारा जिला परियोजना पदाधिकारी को आवश्यकता के अनुसार आवंटित करेगी।

Deepak

SS

4.1 कार्यान्वयन, स्थल चयन एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड हेतु महादलित गाँव/टोला एवं स्थान का चयन जिला स्तर पर गठित एक छः सदस्यीय कार्यान्वयन, स्थल चयन एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा किया जाएगा।

1.	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	अपर-समाहर्ता (भूमि एवं राजस्व)	सदस्य
3.	जिला परियोजना पदा.-सह-जिला कल्याण पदा.	सदस्य सचिव
4.	कार्यपालक अभियंता(जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित)	सदस्य
5.	प्रतिनियुक्त अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी महादलित)	सदस्य
6.	सम्बंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी	सदस्य

a) जिला परियोजना पदा. इस समिति के नोडल पदाधिकारी होंगे।

b) जिला परियोजना पदा. सम्बन्धित प्रखंड के प्रखंड विकास पदा. के माध्यम से महादलित टोला एवं स्थान का चयन कर समिति के समक्ष रखेंगे।

c) समिति का अनुमोदन प्राप्त कर चयनित स्थल की सूची जिला परियोजना पदा.-सह-जिला कल्याण पदा. के द्वारा राज्य मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

d) जिला परियोजना पदा.-सह-जिला कल्याण पदा., जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित कार्यपालक अभियंता के तकनीकी सहयोग से चयनित स्थलों पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण सुनिश्चित एवं समयावधि में कार्य पूरा करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

e) संबंधित पंचायत/वार्ड के विकास-मित्र इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु अभिकर्ता होंगे।

f) इस योजना का गहन पर्यवेक्षन अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी (प्रभारी महादलित) के द्वारा किया जाएगा।

g) योजना का कार्यान्वयन सम्बन्धित जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्यान्वित किया जाएगा।

h) संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण की साप्ताहिक प्रगति-प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से राज्य मिशन कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

Deepak

SShekhar

4.2 अनुश्रवण

- स्थल चयन कर स्थल की सूची उपलब्ध कराने के अतिरिक्त समिति योजना अनुश्रवण का कार्य करेगी।
- समिति, प्रत्येक सप्ताह में योजना कार्यान्वयन के प्रगति की समीक्षा करेगी।
- योजना का कार्यान्वयन तीव्र गति से कैसे किया जाए – इसके लिए आवश्यक सुझाव समिति के द्वारा दिया जाएगा। योजना कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों पर विचार-विमर्श कर समस्या का समाधान समिति के द्वारा किया जाएगा। समस्या फिर से उत्पन्न नही हो, इसके लिए समिति के द्वारा उपाय किया जाएगा।
- योजना के कार्यान्वयन में समिति के द्वारा आवश्यकतानुसार प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
- जिला परियोजना पदाधिकारी योजना से सम्बन्धित प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र सामु0/03 में नियमित रूप से प्रत्येक माह एवं आवश्यकतानुसार राज्य मिशन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें।
- अभियंता (अनुश्रवण) राज्य मिशन कार्यालय के द्वारा समय-समय पर किये गये कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा।

4.3 स्थल चयन में प्राथमिकता

- सर्वप्रथम वैसे टोले का चयन किया जाना है, जहाँ पर सामुदायिक कार्यों के निर्वहन के लिए एक भी सामुदायिक भवन नही है एवं एक भी सरकारी भवन नही है जिसका उपयोग सामाजिक कार्यों के निर्वहन के लिए किया जा सके तथा कम-से-कम 100 परिवारों या 500 की आबादी हो।
- सामुदायिक भवन का स्थल महादलित टोले में या टोले के निकट अधिकतम 100 मीटर के अंतर्गत होना चाहिए तथा स्थल सभी लोगों के पहुँच में होना चाहिए।
- सरकारी भूखंड पर सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड बनाया जा सकता है, जिसका क्षेत्रफल कम-से-कम 3000 वर्गफीट तथा भूमि की लम्बाई कम-से-कम 60 फीट एवं चौड़ाई कम-से-कम 50 फीट हो।
- स्थल चयन के समय यह ध्यान रखना होगा कि स्थल हमेशा सार्वजनिक स्वरूप में रहे।
- स्थल चयन के समय यह ध्यान रखना होगा कि भवन का उपयोग सालों भर एक सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड एवं सांस्कृतिक गतिविधियों केन्द्र के रूप में हो सके।

Deepak

S.Shekhar

4.4 निर्माण के पश्चात भवन का हस्तांतरण

- निर्माण एजेंसी द्वारा निर्मित भवन का हस्तांतरण विधिवत जिला परियोजना पदाधिकारी को किया जाएगा। जिला परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य से संतुष्ट होने पर सम्बन्धित पंचायत के विकास मित्र को भवन का हस्तांतरण ग्राम सेवक की उपस्थिति में करेंगे। विकास मित्र की नियुक्ति होने तक टोला सेवक यह दायित्व वहन करेंगें। विकास मित्र अपनी सेवा समाप्ति के समय, भवन एवं इससे सम्बन्धित लेखा , भंडार इत्यादि कार्यों का प्रभार ग्राम सेवक को सौंपेंगें।

4.4 सामुदायिक भवन संरक्षण समिति - अनुरक्षण

- लाभांवित गावों/टोलों के द्वारा एक समिति का चयन किया जाएगा जिसका नाम "**सामुदायिक भवन संरक्षण समिति**" होगा।
- सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड के अनुरक्षण के लिए पाँच सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।

मुखिया	अध्यक्ष
विकास मित्र	सदस्य सचिव
ग्राम-सेवक	सदस्य
टोला सेवक	सदस्य
मुखिया के द्वारा मनोनित महादलित समुदाय के वरीय नागरिक	सदस्य

- सामुदायिक भवन के अनुरक्षण का कार्य "विकास मित्र" के द्वारा किया जाएगा। विकास मित्र की नियुक्ति नही होने की स्थिति में टोला सेवक यह दायित्व वहन करेंगें।
- सामुदायिक भवन के रख-रखाव के लिए एक नियमन मार्गदर्शिका पूस्तिका होगी जिसके आधार पर भवन से सम्बन्धित कार्य-कलाप यथा भवन को विवाह के लिए आरक्षित करना,उपलब्ध सामग्री का लेन-देन,वितीय कार्य आदि के लिए, किए जायेंगे।

सामुदायिक भवन के समुचित संचालन हेतु राज्य मिशन कार्यालय द्वारा नियमन मार्गदर्शिका पूस्तिका बनायी जाएगी। भवन निर्माण के बाद इसका रख-रखाव कैसे हो इस के लिए "**कार्यान्वयन, स्थल चयन एवं अनुश्रवण समिति**" अपना सुझाव मिशन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

Deepak S.Shekhar

4.5 कार्य विवरण

राज्य मिशन कार्यालय से राज्य के सभी जिला पदाधिकारीयों को सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड की मार्गदर्शिका उपलब्ध करा दी जाएगी।

- जिला पदाधिकारी के द्वारा **स्थल चयन एवं अनुश्रवण समिति** के गठन की कार्रवाई शुरु की जाएगी । जिला परियोजना पदाधिकारी समिति की बैठक में सदस्यों को महादलित के लिए सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड योजना से अवगत करायेंगें एवं सदस्यों को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध करायेंगें।
- जिला परियोजना पदाधिकारी, समिति के तात्कालिन सदस्यों का विवरण विहित प्रपत्र सामु0/01(संलग्न) में राज्य मिशन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें।
- जिला परियोजना पदा. सम्बन्धित प्रखंड के प्रखंड विकास पदा. / पर्यवेक्षक के माध्यम से मार्गदर्शिका में दिए गये निर्देश एवं प्रस्तावित मॉडल के अनुसार महादलित टोला एवं भूखण्ड का चयन कर विहित प्रपत्र सामु0/02(संलग्न) में समिति के समक्ष रखेंगे।
- समिति का अनुमोदन प्राप्त कर चयनित स्थल की सूची जिला परियोजना पदा.-सह-जिला कल्याण पदा. के द्वारा राज्य मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित कार्यपालक अभियंता के तकनीकी सहयोग से जिला परियोजना पदा.-सह-जिला कल्याण पदा. संबंधित पंचायत/वार्ड के विकास-मित्र जो इस योजना के अन्तर्गत सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु अभिकर्ता होंगे के द्वारा "समिति" के अनुमोदन के उपरांत निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया जाएगा।
- प्रत्येक सप्ताह में संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्माण कार्य का प्रगति-प्रतिवेदन विहित प्रपत्र (सामु0/03) में तैयार कर जिला पदाधिकारी को सौपेंगें। जिला परियोजना पदाधिकारी निर्माण कार्य का प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपी राज्य मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराएंगें।

Deepak. Shekhar